यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा

ीठासीन अधिकारी – महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

ुकदमा नंबर :– 204/2020 प्रार्थना पत्र

अनवान

1. रेमता पिता मांगु गुर्जर निवासी सेहणुदा तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. श्रवण पिता मांगु गुर्जर निवासी सेहणुदा तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. गोपी पिता मांगु गुर्जर निवासी सेहणुदा तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. कजोड़ पिता मांगु गुर्जर निवासी सेहणुदा तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. झमु पत्नी मांगु गुर्जर निवासी सेहणुदा तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

बनाम

. गणेश पिता भुवाना भील निवासी सेहणुदा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

पस्थित

. श्री कमलेश महता — अधिवक्ता प्रार्थीगण

. पेरोकार सरकार

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

::निर्णय::

दिनांक 06.07.2021

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थनापत्र [illegible] राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया कि [illegible] हल्का सेहणुदा तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा में खातेदारी [illegible] नंबर 256 रकबा [illegible]–06 बीघा भूमि संयुक्त रूप से दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण उ[illegible] वर्णित आराजी नं[illegible]6 में आने–जाने हेतु एक मात्र रास्ता जो कि आराजी नंबर 250/2 रेकार्डेड़ गै.मु. सड़क

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2022.09.03 16:25:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

से चारागाह आराजी नंबर 250/1 रकबा 2.0234 हैक्टेयर के दक्षिण दिशा की मेड के सहारे–सहारे से खातेदार गणेश पिता भुवाना भील के आराजी नंबर 2311/250 रकबा 1.5176 हैक्टेयर के दक्षिण दिशा की मेड़ के सहारे–सहारे से आते–जाते हैं। प्रार्थीगण अपनी बैलगाड़ी, संज ट्रैक्टर इत्यादि इसी रास्ते से लाते व ले जाते हैं। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगणों को अपनी उक्त वर्णित आराजी में आने–जाने हेतु और कोई रास्ता नहीं है। उक्त वर्णित रास्ता रेकार्डेड नहीं होने से विपक्षीगण की नियत में फितुर आ गया वह रास्ता बंद करने पर आमादा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम सेहणुदा पटवार हल्का सेहणुदा तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नंबर 256 रकबा 06–06 बीघा भूमि में आने–जाने हेतु एक मात्र रास्ता मात्र रास्ता जो कि आराजी नंबर 250/2 रेकार्ड़ेड गै.मु. सडक से चारागाह आराजी नंबर 250/1 रकबा 2.0234 हैक्टेयर के दक्षिण दिशा की मेड के सहारे–सहारे से खातेदार गणेश पिता भुवाना भील के आराजी नंबर 2311/250 रकबा 1.5176 हैक्टेयर के दक्षिण दिशा की मेड़ के सहारे–सहारे से 16 फीट चौड़ाई जिसको नजरी नक्शे में ए व बी से दर्शाया गया है, से आते–जाते है को नया रास्ता कायम किये जाने व राजस्व रेकार्ड़ (नक्शें) में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि देने के लिए प्रार्थीगण सदैव तैयार है।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षो को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किए गए। विपक्षी संख्या 1 का नोटिस बाद तामील अप्राप्त होने से दिनांक 29.01.2021 को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस भेजा गया। नियत दिनांक 9.03.2021 को अधिवक्ता प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 को जारी रजिस्टर्ड एडी नोटिस की कानूनन अवधि पूर्ण होने से कई मर्तबा रूक रूक कर आवाज लगाई उसके अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किए गए। नियत दिनांक 06.04.2021 को भू0अ0निरीक्षक चिताम्बा से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल फाईल किया गया।

प्रकरण में मौका रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा मौका रिपोर्ट अनुसार जितनी भूमि रास्ते के रूप में प्रार्थीगण प्राप्त करते हैं उसका नियमानुसार प्रतिकर चुकाने को तैयार है, परन्तु भूमि चारागाह भूमि होने से प्रतिकर के बजाय उतना ही रकबा प्रार्थीगण की खातेदारी से प्राप्त कर चारागाह क्षति–पूर्ति करना चाहता है। अधिवक्ता प्रार्थीगण विपक्षी पेरोकार सरकार के तथ्यों पर सहमत होते हुए प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से रास्ते हेतु प्राप्त रकबे के बराबर भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2022.09.03 16:25:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

चारागाह क्षति–पूर्ति हेतु देने पर सहमत है। अतः प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 2 के सहमत होने से उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सेहणुदा पटवार हल्का सेहणुदा तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नंबर 256 रकबा 06–06 बीघा भूमि में आने–जाने हेतु एक मात्र रास्ता मात्र रास्ता जो कि आराजी नंबर 250/2 रेकार्डेड गै.मु. सड़क से चारागाह आराजी नंबर 250/1 रकबा 2.0234 हैक्टेयर के दक्षिण दिशा की मेड के सहारे–सहारे से खातेदार गणेश पिता भुवाना भील के आराजी नंबर 2311/250 रकबा 1.5176 हैक्टयर के दक्षिण दिशा की मेड़ के सहारे–सहारे से 16 फीट चौड़ाई जिसको नजरी नक्शे में ए व बी से दर्शाया गया है, आने–जाने का एकमात्र रास्ता होने से मौका रिपोर्ट अनुसार 2 गट्टा चौड़ाई के रास्ते हेतु रकबा 0.0380 हैक्टयर) का रास्ता राजस्व रेकाड़ में सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने एवं चारागाह क्षति–पूर्ति हेतु प्रार्थीगण के आराजी संख्या 256 के पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण दिशा की लम्बाई का टुकड़ा रास्ते के क्षेत्रफल (रकबा 0.0380 हैक्टयर) के बराबर खाते से कम कर चारागाह दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। जमीम में तद्नुसार संशोधन किया जावे। उक्तानुसार तहरीर तहसीलदार करेड़ा को जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2021 को खुल न्यायालय में सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2022.09.03 16:25:16 IST
Reason: SelfAttested